भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1023
04 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई की स्थिति

1023 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, धनराशि के राज्यवार आवंटन, उपयोग तथा मत्स्य उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने में हासिल की गईं प्रमुख उपलब्धियों सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) पीएमएमएसवाई के तहत विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में कोल्ड चेन अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या पीएमएमएसवाई के तहत समुद्री शैवाल, मसल्स (सीप) आदि वैकल्पिक प्रजातियों की खेती और सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्र में विविधता लाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 20050 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 8871.45 करोड़ रुपए की केंद्रीय अंश के साथ 20864.29 करोड़ रुपए की कुल लागत पर विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत फंड के आवंटन और उपयोग का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध। में दिया गया है।

विभिन्न पहलों/योजनाओं के माध्यम से सरकारों, मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य मात्स्यिकी हितधारकों के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप (i) विगत 5 वर्षों के दौरान देश में वार्षिक मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है जो 2019-20 के दौरान 141.64 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 175.45 लाख टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है (ii) मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं के कारण मत्स्यन और जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगभग 58 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन (iii) मात्स्यिकी निर्यात 2019-20 में 46662.85 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 60524.89 करोड़ हो गया, (iv) प्रति व्यक्ति मत्स्य की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम हो गया (v) जलीय कृषि उत्पादकता में 4.7 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि, (vi) पोस्ट-हार्वेस्ट हानि में 10-15% की कमी हुई ।

कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पीएमएमएसवाई के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ मॉडर्न पोस्ट-हार्वेस्ट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण जैसे कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट तथा फिश ट्रांसपोर्टेशन जिनमें आइस फ्लेकिंग और आइस क्रशिंग यूनिट वाले रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड वाहन और आइस/फिश होल्डिंग बॉक्स वाले मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटोरिक्शा आदि शामिल है, में सहायता प्रदान करती है। पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, विगत चार वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान, सभी राज्यों में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत कुल 1316.19 करोड़ रुपए के परिव्यय पर टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 634 कोल्ड स्टोरेज, फिश ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की 27,189 इकाइयां (जैसे आइस बॉक्स वाली 10924 मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स वाली 9412 साइकिलें, 3860 ऑटो रिक्शा, 1243 लाइव फिश वेंडिंग इकाइयां, 1377 इंसुलेटेड ट्रक और 373 रेफ्रिजरेटेड ट्रक) को मंजूरी दी गई । इन मंजूरियों से लगभग 24000 टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता सृजित होगी, जिससे पोस्ट-हार्वेस्ट हानि में कमी आएगी ।

पीएमएमएसवाई का उद्देश्य समुद्री कृषि गतिविधियों जैसे सी वीड क्ल्टीवेशन, मसल्स, पर्ल और क्लैम की क्ल्टीवेशन सहित बाइवाल्व क्ल्टीवेशन और ओर्नामेंटल फिश रियरिंग और ब्रीडिंग यूनिट्स के माध्यम से अंतर्देशीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि की अप्रयुक्त क्षमता का इष्टतम उपयोग करना है। विगत चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 217.78 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर 2675 ओर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग और रियरिंग इकाइयों, सी वीड कल्टीवेशन के लिए 1,12,725 इकाइयों और 2307 बाइवाल्व क्ल्टीवेशन इकाइयों को मंजूरी दी है, जिससे मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका आय उत्पन्न करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

अनुबंध-I

पीएमएमएसवाई की स्थिति के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1023 के उत्तर में उल्लिखित विवरण :-

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत धनराशि के आवंटन और उपयोग का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आवंटित धनराशि	केंद्रीय अंश	जारी की गई धनराशि	उपयोग
1	अंडमान और निकोबार	5867.10	3122.53	696.70	509.29
2	आंध्र प्रदेश	239872.67	55910.38	48211.79	32813.23
3	अरुणाचल प्रदेश	20028.09	13232.27	9847.62	7724.36
4	असम	53962.88	29682.11	20731.89	13379.66
5	बिहार	52241.50	15882.35	7928.31	5822.40
6	छत्तीसगढ	92338.45	30404.41	20569.40	15569.41
7	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	12916.89	6500.65	178.90	7.20
8	दिल्ली	533.25	286.08	163.30	124.72
9	गोवा	11616.49	4849.74	4405.68	3148.34
10	गुजरात	96068.53	29277.71	6516.70	4767.06
11	हरियाणा	76086.75	26216.03	10151.73	10060.22
12	हिमाचल प्रदेश	15388.15	7861.50	3813.69	2939.39
13	जम्मू और कश्मीर	15019.86	7773.04	7961.80	6718.78
14	झारखंड	43856.06	14818.28	11570.76	7487.12
15	कर्नाटक	105634.95	36350.59	35958.72	23593.93
16	केरल	135811.54	57628.59	31842.33	30004.73
17	लद्दाख	3374.60	2036.76	1016.99	219.09
18	लक्षद्वीप	6763.48	4458.13	1419.12	68.01
19	मध्य प्रदेश	80745.00	26145.18	19013.71	14990.53
20	महाराष्ट्र	144767.36	54426.66	27877.83	25566.97
21	मणिपुर	20181.70	9584.33	2944.63	1944.63
22	मेघालय	13262.36	7425.73	3596.21	2195.32
23	मिजोरम	14785.80	8128.27	6347.38	5216.47
24	नागालैंड	16368.38	10543.52	6709.46	5063.89
25	ओडिशा	113867.60	46425.75	25983.27	21032.82
26	पुदु	33866.46	22996.05	5713.91	4426.51
27	पंजाब	16792.95	4514.79	2476.27	1569.76
28	राजस्थान	7095.14	2372.65	864.12	386.47
29	सिक्किम	7827.43	4681.43	3300.05	2316.33
30	तमिलनाडु	115284.67	44535.55	13631.12	16385.04
31	तेलंगाना	34117.09	10842.16	9582.93	2745.34
32	त्रिपुरा	25862.81	14762.41	5859.84	3638.56
33	उत्तर प्रदेश	129432.10	41230.99	28911.70	22371.61
34	उत्तराखंड	32297.07	16667.37	8780.37	7399.07
35	पश्चिम बंगाल	54439.43	22554.70	5075.97	2476.00